10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs. 10

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs. 10

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs. 10

(10)

प्रकरण क्र. :

प्रस्तुति दिनांक :

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/स्टांप अधि/2017/4662

मेसर्स नविले बिल्डर्स प्रा.लि.,
302, देवकृपा बिल्डिंग,
28, रायचूर स्ट्रीट, मुम्बई – 9 द्वारा संचालक,
अतुल पिता सुरेशचंद्रजी खण्डेलवाल,
आयु 45 वर्ष, धंधा नौकरी,
पता – 170/10, फिल्म कालोनी, आर.एन.टी. मार्ग,
इन्दौर

— अपीलार्थी

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री रवि भट्ट द्वारा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 09-11-2017 को प्रस्तुत।
860
09-11-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1– म.प्र. शासन द्वारा उप–पंजीयक महोदय
इन्दौर
2– श्रीमती बसंतीबाई विधवा स्व. शंकरलालजी
3– राजेश पिता स्व. शंकरलालजी
4– गिरीश पिता स्व. शंकरलालजी
निवासी ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर— रेस्पांडेंट्स

वाद स्टाम्प शुल्क की वसूली बाबद

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत
(दि. 04.11.2016 के नवीन सर्क्यूलर अनुसार)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/स्टाम्प/17/4662 जिला **इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 20–11–2017 को लगभग तीन वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण कि अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उसे आदेश की जानकारी नहीं देना बताया है, जबकि आवेदक के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं अतः उनका यह दायित्व था कि वह समय समय पर आदेश की जानकारी लेते, इसलिये विलम्ब का कारण सद्भाविक मान्य नहीं किया जा सकता है । अतः यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	